



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 17 नवम्बर, 2023

कार्तिक 26, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

संख्या यूपीईआरसी / सचिव / आर एस पी वी विनियमावली /002

लखनऊ, 17 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 36 सन् 2003) की धाराएं 61, 86(1) (इ) और 181 द्वारा प्रदत्त और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने (रूफटॉप सोलर पी वी ग्रिड पारस्परिक प्रणालियाँ सकल/शुद्ध मापन) विनियमावली, 2019 बनाई है जिसका प्रकाशन अधिसूचना संख्या यूपीईआरसी/सेक्रेटरी/आरएसपीवी विनियमावली/434 (ए), दिनांक 4 जनवरी, 2019 के द्वारा किया गया।

और चूंकि, यूपीईआरसी (रूफटॉप सोलर पी0वी0 ग्रिड पारस्परिक प्रणालियाँ सकल/शुद्ध मापन) विनियमावली, 2019 (प्रथम संशोधन/संशोधन) अधिसूचना संख्या: यूपीईआरसी/सेक्रेटरी/आरएसपीवी विनियमावली, 118, दिनांक 1 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

और चूंकि, उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा नीति, 2022 का निर्माण किया है जो कि (5) वर्ष तक या जब तक सरकार नई नीति अधिसूचित न करे, लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022 की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग अब विद्युत अधिनियम 2003 की धाराएं 61, 86 (1) (इ) और 181 और उपर्युक्त विनियमावली के खंड 17 अर्थात् संशोधन करने की शक्ति और अन्य समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

1-संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(क) यह विनियमावली यू पी ई आर सी (रूफटॉप सोलर पी वी ग्रिड पारस्परिक प्रणालियाँ सकल/शुद्ध मापन) विनियमावली, 2019 (द्वितीय संशोधन) कही जाएगी जिसे आगे आर0एस0पी0वी0 विनियमावली, 2019, (द्वितीय संशोधन) कहा जायेगा।

(ख) यह विनियमावली राज्य के सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-संशोधन-

विनियम संख्या	विद्यमान विनियम	संशोधित विनियम
परिभाषाएँ और व्याख्याएँ	<p>2 (ह)</p> <p>शुद्ध बिलिंग योजना का उद्देश्य अनुज्ञापतिधारी के मीटरयुक्त उपभोक्ता से है जो कृषि श्रेणी (एलएमवी 5) अथवा एलएमवी 1 श्रेणी का घरेलू उपभोक्ता है, जो उपभोक्ता परिसर में है और उसका स्व-स्वामित्व अथवा तीसरे पक्ष के स्वामित्व में हो सकता है, मुख्य ग्रिड से संबंध रूफटॉप सोलर पीवी पद्धति स्थापित करने का इच्छुक/स्थापित कर चुका है जिसका ग्रिड से आयातित ऊर्जा एवं ग्रिड से संबंध छत पर सोलर पीवी पद्धति को निर्यात किया जाता है ऊर्जा को एकल द्विदिशात्मक ऊर्जा मीटर के माध्यम से निवल किया जाता है</p>	<p>2 (ह) सक्षम उपभोक्ता का तात्पर्य-</p> <p>(iii) शुद्ध बिलिंग योजना का तात्पर्य अनुज्ञापतिधारी के मीटर्ड प्रोज्यूर से है जो कृषि श्रेणी (एलएमवी-5) अथवा एलएमवी-1 श्रेणी का घरेलू उपभोक्ता है, जो उपभोक्ता परिसर में जो कि स्व-स्वामित्व अथवा तीसरे पक्ष के स्वामित्व में हो सकता है, में ग्रिड से सम्बद्ध रूफटॉप सोलर पीवी पद्धति स्थापित करने का इच्छुक/स्थापित कर चुका है, जिसमें ग्रिड से आयातित ऊर्जा एवं ग्रिड से संबद्ध रूफटॉप सोलर पीवी पद्धति को निर्यातित ऊर्जा को एकल दिव-दिशात्मक ऊर्जा मीटर के माध्यम से निवल किया जाता है।</p> <p>शुद्ध मापन योजना वितरण लाइसेंसधारियों (मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, केस्को और एनपीसीएल) के टैरिफ आदेशों दिनांक 24 मई, 2023 में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए दर अनुसूची में उल्लिखित, निम्नलिखित उपभोक्ता श्रेणियों के लिए भी उपलब्ध होगी।</p> <p>(i) दर अनुसूची की एलएमवी-4 ए उपभोक्ता श्रेणी में आने वाली सभी लोक संस्थाएं, इसमें वे उपभोक्ता सम्मिलित नहीं हैं जो दर अनुसूची में दिए गए एल एम वी-4ए (सी) में आते हैं।</p> <p>(ii) दर अनुसूची की एल एम वी-4बी उपभोक्ता श्रेणी में आने वाले निजी संस्थानों के अन्तर्गत निजी शोध संस्थान और विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षिक संस्थाएं।</p> <p>(iii) ऊपर (1) में उल्लिखित संस्थाओं के समान लोक संस्थाएं लेकिन जो दर अनुसूची की एच वी-1 उपभोक्ता श्रेणी में आती हों।</p> <p>(iv) ऊपर (2) में उल्लिखित संस्थाओं के समान निजी संस्थाएं लेकिन जो दर अनुसूची की एच वी-1 उपभोक्ता श्रेणी में आती हों</p>

विनियम संख्या	विद्यमान विनियम	संशोधित विनियम
	“नेट मीटरिंग” का अर्थ है एक प्रणाली में ऊर्जा के मापन की व्यवस्था जिसके अंतर्गत मीटरयुक्त कृषि (एलएमवी-5 श्रेणी के अंतर्गत) या मीटरयुक्त आवासीय/घरेलू उपभोक्ता परिसर (एलएमवी 1 श्रेणी के अंतर्गत) में स्थापित छत पर सौर पीवी प्रणाली अधिशेष बिजली, यदि कोई हो, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की गई बिजली को ऑफ-सेट करने के बाद वितरण लाइसेंसधारी को लागू बिलिंग अवधि के दौरान प्रदान करती है।	“नेट मीटरिंग” का अर्थ है एक प्रणाली में ऊर्जा के मापन की व्यवस्था जिसके अंतर्गत सक्षम उपभोक्ता के परिसर में [जैसा 2(ह) (iii) में दिया गया है] में स्थापित छत पर सौर पीवी प्रणाली अधिशेष बिजली, यदि कोई हो, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की गई बिजली को ऑफ-सेट करने के बाद वितरण लाइसेंसधारी को लागू बिलिंग अवधि के दौरान प्रदान करती है।

आयोग के आदेश से,
शैलेन्द्र गौर,
सचिव।

No. UPERC/Secretary/RSPV Regulations/002

Dated Lucknow, November 17, 2023

IN exercise of the power conferred on it by Sections 61, 86(1) (e) and 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission has made UPERC (Rooftop Solar PV Grid Interactive System Gross/Net Metering) Regulation 2019, which were published *vide* notification no. UPERC/Secretary/RSPV Regulations/434(A) dated January 4, 2019.

AND WHEREAS, UPERC (Rooftop Solar PV Grid Interactive System Gross/Net Metering) Regulation, 2019 (First Amendment/Addendum) were published *vide* notification no. U.P.E.R.C./Secretary/RSPV Regulations/118, dated June 1, 2022.

AND WHEREAS, the Government of Uttar Pradesh has framed UP Solar Policy 2022, which has to remain in operation for a period of five (5) years or till the Government notifies the new policy. In view of the UP Solar Policy 2022, Uttar Pradesh Electricity Regulation Commission, now in exercise of its power conferred under sections 61, 86 (1) (e) and 181 of Electricity Act, 2003 and clause 17 of the aforesaid Regulation *i.e.* Power to Amend and all other enabling powers hereby makes the following amendments, namely:-

1. Short Title and Commencement-

- These Regulations shall be called UPERC (Rooftop Solar PV Grid Interactive System Gross/Net Metering) Regulation, 2019 (Second Amendment) hereinafter referred to as RSPV Regulation, 2019 (Second Amendment).
- These Regulations shall come into force from the date of their notification in the Official *Gazette* of the State.